FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम फलौदी

सरदाराराम बनाम पूराराम वगैरह

किस्म मुकदमा राय आवेदन नं. 272/2021 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/09/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिड़मलराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29/9/21 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
29/09/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण। के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी पावती रसीद प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। माननीय पीठासीन अधिकारी डिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इलतवा होकर आगामी दिनांक 23/11/21 को पेश हो। [signature]	
23/11/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। माननीय पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान [illegible] कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इलतवा होकर आगामी दिनांक 15/12/21 को पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:22:48 IST
Reason: SelfAttested

15/12/2021

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभि-
यान - 2021 कैम्प ग्राम पंचायत ओजावर में रखी
गई, प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगण बावजूद सूचना
अनुपस्थित / प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी
के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के
खातेदारी खेत सेढा मेढ आये हुए है। सेढो के बिच जो
पुरानी मेढ व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में अधिकांश
की वजह से बिखर गये है। जिससे प्रार्थी को अपने
खेत के सेढो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। जिस-
कारण खेत के सेढो को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य
हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के
सेढो का सही ज्ञान करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी
का निशानदेही आवेदन स्वीकार किया जाकर निशानदेही
आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर
प्रार्थी का निशानदेही आवेदन स्वीकार किया जाकर
तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।
व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या किसी भी
भू अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की
पक्की निशानदेही मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा-
कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल
पत्रावली हो, [illegible] होकर दर्ज नम्बर
से कम हो, [illegible] हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:22:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 1466

दिनांक : 15/12/2021

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

1. सरदारारारम पुत्र पुराराम जाति जाट निवासी मायलो की ढाणी तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. पूराराम पुत्र पुर्णाराम वगैरा जाति जाट निवासी मायलो की ढाणी तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 272/21

आदेश

मौजा मायलो की ढाणी पटवार हल्का झाक के खेत खसरा नम्बर 715/632 रकबा 11.1642 हैक्टयर की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 1467 to 1471

दिनांक : 15/12/21

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी हल्का झाक को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी सरदारारारम वगैरा।
4. विप्रार्थीगण पुराराम वगैरा।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:22:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु